POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 07.12.2025

1. थाना सेक्टर- 49 नोएडा पुलिस द्वारा घरों में चोरी करने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किया हुआ सामान, नगदी व जेवरात बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- थाना सेक्टर-49 पुलिस द्वारा दिनांक **07.12.2025** को बिजली घर के पास ग्रीन बैल्ट सै0-50 नोएडा से 03 अभियुक्तगण 1.चरण सिंह उर्फ चन्ना पुत्र शीशपाल उर्फ शेषपाल सिंह 2.मयंक शर्मा पुत्र अवनीश शर्मा 3.मनीष गिरी पुत्र संजय गिरी को मय चोरी के 01 कैमरा पैनासोनिक व 01 जोडी पायल सफेद धातु वजन लगभग 165 ग्राम व 01 नीला बैग जिसमें 04 जींस पैंट व 06 शर्ट व 4100/- रूपये तथा लाल रंग की पर्स (संबंधित मु0अ0सं0 0373/2025 अंतर्गत धारा 305(ए) बीएनएस0 थाना सै0-49 नोएडा गौतमबुद्धनगर) व 01 जोडी पायल सफेद धातु व 06 बिछिया सफेद धातु लगभग 90 ग्राम व 5200 रुपये तथा 01 बैग स्लेटी व काले रंग (संबंधित मु0अ0सं0 0340/2025 धारा 305(ए) बीएनएस0) के साथ गिरफ्तार किया गया है।

पूछताछ का विवरण-- अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि दिनांक 05.12.2025 को दोपहर में इन तीनो ने मिलकर पिलर सं0 43 के सामने से एक घर से चोरी की थी जिसमें 01 कैमरा, नीला बैंग, कपड़े व कुछ जेवरात चोरी किये थे जिसमें से कुछ सामान को बेच दिया था जिसके कुछ पैसे इन तीनों के पास से मिल गये है शेष पैसे खर्च कर दिये गये। उक्त के सम्बन्ध में थाना सै0-49 नोएडा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 0373/2025 धारा 305(ए) बीएनएस0 पंजीकृत है। अन्य पूछताछ में बताया कि इन तीनों ने करीब 01 माह पहले गली नं0 01 हनुमान विहार सै0-49 नोएडा से एक घऱ से कुछ जेवरात, कुछ नगदी चोरी की थी जिसमें से कुछ सामान आज इन लोगों के पास से बरामद हुआ है और कुछ सामान को बेचकर पैसे मिले थे जिसमें से कुछ पैसे बरामद हो गये है कुछ पैसे इन लोगों ने खर्च कर दिये।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

1. चरण सिंह उर्फ चन्ना पुत्र शीशपाल उर्फ शेषपाल सिंह नि0 ग्रा0 खेड़ा थाना पिलखुआ जिला हापुड़ उम्र 26 वर्ष
2. मयंक शर्मा पुत्र अवनीश शर्मा नि0 ग्रा0 खेड़ा थाना पिलखुआ जिला हापुड़ उम्र 25 वर्ष
3. मनीष गिरी पुत्र संजय गिरी नि0 ग्रा0 खेड़ा थाना पिलखुआ जिला हापुड़ उम्र 22 वर्ष

- **आपराधिक इतिहास अभियुक्त चरण सिंह उर्फ चन्ना उपरोक्त--**

1. मु0अ0सं0 0706/2017 धारा 380 भादवि0 थाना पिलखुआ जनपद हापुड़।
2. मु0अ0सं0 0271/2023 धारा 380/411/454 भादवि0 थाना सूरजपुर नोएडा गौतमबुद्धनगर।
3. मु0अ0सं0 0321/2023 धारा 380/411/454 भादवि0 थाना सूरजपुर नोएडा गौतमबुद्धनगर।
4. मु0अ0सं0 373/2025 धारा 305(ए),317(2) बीएनएस0 थाना सै0-49 नोएडा गौतमबुद्धनगर।
5. मु0अ0सं0 0340/2025 धारा 305(ए),317(2) बीएनएस0 थाना सै0-49 नोएडा गौतमबुद्धनगर।

- **आपराधिक इतिहास अभियुक्त मयंक उपरोक्त--**

1. मु0अ0सं0 0204/2022 धारा 380/411 भादवि0 थाना जीआरपी0 गाजियाबाद।
2. मु0अ0सं0 373/2025 धारा 305(ए),317(2) बीएनएस0 थाना सै0-49 नोएडा गौतमबुद्धनगर।
3. मु0अ0सं0 0340/2025 धारा 305(ए),317(2) बीएनएस0 थाना सै0-49 नोएडा गौतमबुद्धनगर।

- **आपराधिक इतिहास अभियुक्त मनीष गिरी उपरोक्त--**

1. मु0अ0सं0 0421/2025 धारा 303(2),317(2) बीएनएस0 थाना पिलखुआ जनपद हापुड़।
2. मु0अ0सं0 373/2025 धारा 305(ए),317(2) बीएनएस0 थाना सै0-49 नोएडा गौतमबुद्धनगर।
3. मु0अ0सं0 0340/2025 धारा 305(ए),317(2) बीएनएस0 थाना सै0-49 नोएडा गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

1. एक कैमरा पेनासोनिक
2. 01 जोडी पायल सफेद धातु वजन लगभग 165 ग्राम
3. एक अमेरिकन टूरिस्टर नीला बैग जिसमें 04 जींस पैंट व 06 शर्ट
4. 01 जोडी पायल सफेद धातु व 06 बिछिया सफेद धातु वजन लगभग 90 ग्राम
5. 01 बैग स्लेटी व काले रंग का
6. 9300/- रूपये नगद।

2. थाना सेक्टर-63 पुलिस द्वारा 01 वाहन चोर गिरफ्तार, कब्जे से मो0सा0 टीवीएस अपाचे चोरी की व एक तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **07.12.2025** को **थाना सेक्टर-63 नोएडा पुलिस** द्वारा अभि0 अभय उर्फ सोनू पुत्र रामकृपाल सिंह को मेट्रो पिलर 41 सी के पास छिजारसी से **गिरफ्तार** किया गया है। अभि0 के कब्जे से चोरी की एक मोटर साईकिल टीवीएस अपाचे नं0 डीएल 9एस बीसी 5054 सम्बन्धित ई-एफआईआर 022624 थाना ई-पुलिस स्टेशन एमवी थेफ्ट दिल्ली व एक तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुए।

अभियुक्त का विवरण-- अभि0 अभय उर्फ सोनू पुत्र रामकृपाल सिंह निवासी ग्राम मुन्डेर थाना पाली जिला हरदोई व हाल पता किराये का मकान, अक्सा मस्जिद के पास, चोटपुर कॉलोनी, थाना सेक्टर 63, गौतमबुद्धनगर, उम्र 34 वर्ष

बरामदगी का विवरण--

1. मोटर साईकिल टीवीएस अपाचे नं0 डीएल 9एस बीसी 5054 सम्बन्धित ई-एफआईआर 022624 थाना ई-पुलिस स्टेशन एमवी थेफ्ट दिल्ली
2. 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर

आपराधिक इतिहास का विवरण--

1. मु.अ.सं. 546/2025 धारा 317(2) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सेक्टर-63 नोएडा गौतमबुद्ध नगर
2. मु.अ.सं 002/2025 धारा 305,317(2) बीएनएस थाना खोड़ा जनपद गाजियाबाद
3. मु.अ.सं 074/2025 धारा 305,317(2),331(4) बीएनएस थाना खोड़ा जनपद गाजियाबाद
4. मु.अ.सं 0368/2018 धारा 379,411 भादवि थाना सेक्टर-20 नोएडा गौतमबुद्ध नगर
5. मु.अ.सं 0845/2019 धारा 25/27 आयुध अधि0 थाना सेक्टर-24 नोएडा गौतमबुद्ध नगर
6. मु.अ.सं 392/2019 धारा 392/411 भादवि थाना सेक्टर-24 नोएडा गौतमबुद्ध नगर
7. मु.अ.सं 777/2019 धारा 379/411 भादवि थाना सेक्टर-24 नोएडा गौतमबुद्ध नगर
8. मु.अ.सं 815/2019 धारा 392/411 भादवि थाना सेक्टर-24 नोएडा गौतमबुद्ध नगर
9. मु.अ.सं 826/2019 धारा 307 भादवि थाना सेक्टर-24 नोएडा गौतमबुद्ध नगर
10. मु.अ.सं 828/2019 धारा 414 भादवि थाना सेक्टर-24 नोएडा गौतमबुद्ध नगर
11. मु.अ.सं 837/2019 धारा 392/411 भादवि थाना सेक्टर-24 नोएडा गौतमबुद्ध नगर
12. ई-एफआईआर 022624 थाना ई-पुलिस स्टेशन एमवी थेफ्ट दिल्ली

3. थाना दनकौर पुलिस द्वारा हत्या के अभियोग में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **07.12.2025** को **थाना दनकौर पुलिस** द्वारा मु0अ0सं0 337/25 धारा 103(1)/238 बीएनएस में वांछित अभियुक्त भारत पुत्र अरुण भाटी व बॉबी भाटी पुत्र देवेन्द्र भाटी को कनारसी नहर पर हतेवा पुल मजार के पास से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्तगण की निशादेही पर मृतक की कार मारूती स्विफ्ट रजि0 नं0 एचआर 28 जे 4815 को ग्रान्ड वेनिस मॉल की पार्किंग के पिलर नं0 आई-06 के पास से बरामद किया गया है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-- दिनांक 06.12.2025 को वादी द्वारा सूचना अंकित करायी कि मेरा पुत्र मनीष उम्र करीब 25 वर्ष दिनांक 29.11.2025 को शाम घर से अपने दोस्त भारत पुत्र अरुण भाटी निवासी ग्राम अस्तौली के साथ अपनी कार स्विफ्ट नं0 एचआर 28 जे 4815 से कुछ काम के लिए निकला था। जब मनीष देर रात तक घर नहीं आया तो मैने मनीष को फोन किया तो मनीष ने बताया कि मै भारत पुत्र अरुण भाटी निवासी ग्राम अस्तौली के साथ बॉबी भाटी पुत्र देवेन्द्र भाटी निवासी ग्राम पतलाखेड़ा के पास ग्राम-पतलाखेड़ा मे उन्हीं के घर पर हूँ तथा उसके बाद मेरा पुत्र मनीष वापस नही आया। दिनांक 30.11.2025 को मनीष का फोन बिलासपुर रोड पर मिला तथा मनीष की थाना-दनकौर पर गुमशुदगी दिनांक 01.12.2025 को दर्ज करायी थी। उक्त सूचना के आधार पर मनीष की हत्या के सम्बन्ध में थाना दनकौर पर मु0अ0सं0 337/25 धारा 103(1)/238 बीएनएस पंजीकृत किया गया।

पूछताछ का विवरण-- अभियुक्तगण द्वारा पूछताछ पर बताया कि सर दिनांक 29.11.2025 को मृतक मनीष व हम दोनो भारत व बॉबी, बॉबी के खेत पर गये थे जहाँ पर हमारा आपस में झगड़ा हो गया था जिस पर हम दोनो ने मनीष की गला दबाकर हत्या कर दी थी तथा पकड़े जाने के डर से मनीष के शव को उसकी गाड़ी में डालकर जमालपुर पुल से खेरली नहर में डाल दिया था तथा हमने अपने फोन बन्द कर लिये थे और अपनी रिश्तेदारी में भाग गये थे। दिनांक 30.11.2025 को हमने मनीष की गाड़ी ग्रान्ड वेनिस मॉल की पार्किंग में खड़ी कर दी थी।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

1. भारत पुत्र अरुण भाटी निवासी ग्राम अस्तौली थाना-दनकौर गौतमबुद्धनगर
2. बॉबी भाटी पुत्र देवेन्द्र भाटी निवासी ग्राम पतलाखेड़ा थाना दनकौर गौतमबुद्धनगर

आपराधिक इतिहास--

- **भारत पुत्र अरुण भाटी उपरोक्त-**

मु0अ0सं0 337/25 धारा 103(1)/238 भारतीय न्याय संहिता थाना दनकौर गौतमबुद्धनगर

मु0अ0सं0 213/20 धारा 336/352/427/506 भारतीय दण्ड संहिता थाना दनकौर गौतमबुद्धनगर

- **बॉबी भाटी पुत्र देवेन्द्र भाटी उपरोक्त**

मु0अ0सं0 337/25 धारा 103(1)/238 भारतीय न्याय संहिता थाना दनकौर गौतमबुद्धनगर

बरामदगी का विवरण-- मृतक गाड़ी रजि0 नं0 एचआर 28 जे 4815